INDIA
दस रुपये TEN RUPEES

न्यायालय माननीय राजस्व मंडल म0 प्र0 ग्वालियर,केम्प भोपाल

रेस्टो -9024-II-16 प्र0क्र0 / निगरानी / 3699–III / 2014

श्रीमती रेखा राजपूत विरूद्ध महेश पाटीदार

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा–41 भू–राजस्व संहिता 1959 सहपठित राजस्व मण्डल की कार्यप्रणाली तथा प्रक्रिया का नियम–32

माननीय महोदय,

निगरानीकर्ता श्रीमती रेखा राजपूत निम्नानुसार निवेदन करती है:–

1– यह कि निगरानीकर्ता ने अनावेदक को पक्षकार बनाते हुए संहिता की **धारा–50 भू–राजस्व संहिता–1959 के अन्तर्गत** राजस्व निरीक्षक मण्डल वृत्त–2 तहसील श्यामपुर जिला सीहोर द्वारा ग्राम सतोरनिया प.ह.नं. 19 तह0 श्यामपुर जि0सीहोर की भूमि ख0क्र0 112/1 के सीमांकन प्रतिवेदन दि. 21.05.14 से परिवेदित होकर निर्धारित समयावधि में निगरानी प्रस्तुत की थी। इसमें प्रकरण से संबंधित समस्त तथ्यों एवं वैधानिक प्रावधानों का उल्लेख किया गया था।

2– यह कि माननीय न्यायालय ने निगरानीकर्ता एवं अनावेदक के प्रारंभिक तर्क श्रवण करने के उपरान्त दिनांक 16.01.2015 को निगरानी सुनवाई हेतु ग्राह्य करते हुए प्र0क्र0 आर0–3699–3/2014 पंजीबद्ध किया था।

3– यह कि माननीय न्यायालय ने प्रकरण दिनांक 18.02.2016 को अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख को आहूत करने हेतु नियत किया था। निगरानीकर्ता के अभिभाषक इस दिनांक को प्रकरण में उपस्थित हुए थे। माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण में आगामी दिनांक 17.03.2016 अधीनस्थ न्यायालय के रिकार्ड हेतु नियत की थी। निगरानीकर्ता के अभिभाषक श्री डी0डी0मेंघानी नियत दिनांक 17.03.2016 को माननीय न्यायालय के भोपाल केम्प पर उपस्थित हुए थे परन्तु तत्कालीन श्रीमान पीठासीन अधिकारी किन्हीं अज्ञात कारणों से दिनांक – 17.03.2016 को भोपाल केम्प पर उपस्थित नहीं हो सके थे एवं श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर के कोई प्रवाचक भी उक्त दिनांक पर न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल के भोपाल केम्प पर उपस्थित नहीं हुए थे। इतना ही नहीं सूचना पटल पर भी यह अंकित नहीं था कि दिनांक 17.03.2016 को नियत आगामी पेशी किस दिनांक को नियत की गई है। इस स्थिति में निगरानीकर्ता के अभिभाषक श्रीमान राजस्व मण्डल न्यायालय केम्प भोपाल से वापिस चले गये थे।

4– यह कि माननीय न्यायालय द्वारा दि.–17.03.2016 के बाद निगरानीकर्ता को या उनके अभिभाषक श्री डी0डी0मेंघानी को उक्त प्रकरण में आगामी पेशी की दिनांक की सूचना नहीं दी गई थी। निगरानीकर्ता के अभिभाषक ने दिनांक 19.07.2016 को माननीय न्यायालय के भोपाल केम्प पर उपस्थित होकर उक्त प्रकरण के संबंध में आगामी पेशी की प्रवाचक से जानकारी प्राप्त की तो उनके

केम्प भोपाल में दिनांक 20.7.16 को प्राप्त / 20-7-16

N.F. 30/8/16 20/7/16

R. 9027-II/16 सीकर

	प्रस्तुतकार	
30.8.16	आवेदक अधि० श्री डी०के० केशरी उपस्थित। उन्हें रेस्टो० आवेदन पर सुना गया। विचारोपरांत रेस्टो० आवेदन स्वीकार किया जाता है। मूल निगरानी क्र० 3699-III/14 पुनः नम्बर पर लिया जाता है। प्रकरण दाखिला रिकार्ड हो। सदस्य	30/8/16

[पीछे देखिये